

डिग्री वमुकदमें ईब्दादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठारसीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर-60/2019

1. अकिनां पत्नी कैलाश कुमार जाति विश्नोई निवासी 6 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादीया

वनाम्

1. कैलाश कुमार पुत्र जगदीश जाति विश्नोई निवासी 6 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जयनारायण शर्मा वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री संजय शर्मा प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं0 6 केएसपी के प0न0 174/303 किलानं0 5/1/.2280, 5/2/.0250,6/1/.2280, 6/2/.0250,15/1/.2280,15/2/.0250, 16/1/.2280, 16/2/.0250, 25/1/.2280, 25/2/.0250, प0न0 174/304 किला नं0 5/1/0.2280, 5/1/.0250 है0, प0न0 175/304 किलानं0 1 से 2/0.5060 है0 कुल 2.0240 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जांकर उपरोक्त अनुसार वादीया की भूमि का खाता अलग अलग कायम कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे व शेष हिस्सा प्रतिवादीसं0 1 का बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....19-08-2019.....को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी